

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग —2

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

वृहस्पतिवार, तिथि 7 नवम्बर, 1985 ई०

4. माँग पत्र में दिये गये अन्य विन्दुओं पर श्रमायुक्त के स्तर पर दोनों पक्षों में वार्ता चलेगी । दोनों का प्रयास होगा कि अन्य विन्दुओं पर भी तीस दिनों के अन्दर समझौता हो जाय ।
5. सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यूनियन ने आज दिनांक 7-11-85 से प्रस्तावित हड़ताल पर नहीं जाने का निर्णय लिया है ।

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री यह बतायें कि मुख्य मंत्री ने जो आर्बिट्रेटर का काम किया है वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के किस धारा के अन्तर्गत किया है ।

स्थगन-प्रस्ताव की सुचनाएँ :

अध्यक्ष : आज दिनांक 7-11-85 के लिये माननीय सदस्य सर्वश्री मोहम्मद मुस्ताक, रघुवंश प्रसाद सिंह, उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने स्थगन-प्रस्ताव दिया है । लेकिन ये नियमानुकूल नहीं है । इसलिए इसे अमान्य करता हूँ।

श्री मो० मुस्ताक: अध्यक्ष महोदय, 26-27 सितम्बर को मुहर्रम के दिन वहाँ की पुलिस प्रशासन ने एक खास समुदाय के लोगों को घेर लिया, उनको मारा-पीटा और करीब सौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है । उसके खिलाफ मुख्य मंत्री के पास डेलिगेशन मिला था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनपर से मुकदमा उठालिया जायेगा । लेकिन आज तक मुकदमा नहीं उठाया गया । वहाँ के मुसलमानों को वहाँ की पुलिस तबाह कर रही है, जुल्म कर रही है । उनके घर-घर में घूसकर, उनको खेत खलिहानों से, दूकानों

से,उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है । मैं माँग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इसके संबंध में सदन में अपना बयान दे ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के चार प्रखंड, शिवहर, बेलसंड, मीनापुर, सैदपुर, रीगा आदि चार बार बाढ़ से प्रभावित हो चुका है । सरकार बाढ़ नियंत्रण पर लाखों रूपया खर्च कर रही है । लेकिन सीतामढ़ी जिला के सैकड़ों गाँव दह रहे हैं, उसके लिये सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही है । मीनापुर, शिवहर सड़क बाढ़ से टूट गयी है, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सड़क बाढ़ से ध्वस्त हो गयी है । लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है । वहाँ के लोग बाढ़ से प्रभावित हो त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । इसलिये मैं सरकार से माँग करता हूँ कि सरकार उन चारों प्रखंडों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें । वहाँ की जमीन की मालगुजारी माफ़ कर । किसानों के यहाँ सभी प्रकार के बकाये ऋण माफ़ी करने पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 5 नवम्बर, 85 की संध्या में विक्रम शिला एक्सप्रस ट्रेन में महेसी स्टेशन के निकट भीषण डकैती हुई और एक नवजवान की हत्या कर दी गयी । डकैती में एक लाख की सम्पत्ति भी लूटी गयी । पिछले 45 दिनों के अन्दर यह तीसरी ट्रेन डकैती है । ट्रेन में हुई डकैती एवं भीषण हत्या कांड पर मैं कार्यस्थान प्रस्ताव लाया हूँ और यह मामला लूट एवं हत्या का है और डकैतों द्वारा रोज हत्यायें की जा रही हैं इसलिये अध्यक्ष महोदय इसको मंजूर कर सदन का कार्य बन्द कर इसपर वादविवाद करावें ।